म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल

पंचानन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल– 462003

website :- www.mpsfdc.com

विशेष राजस्व परामर्शदाता की सेवाओं की आवश्यकता

निगम में राजस्व से संबंधित कार्यों के हेतु 01 एक विशेष राजस्व परामर्शदाता की सेवाओं की आवश्यकता है। इस हेतु निगम के उप प्रबंधक (लेखा) या उससे उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कर्मचारी से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 26.04.2021 तक क्षे.मु.महाप्रबंधक कार्यालय भोपाल में आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण निगम की website: www.mpsfdc.com पर उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक

विशेष राजस्व परामर्शदाता की सेवाओं की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत विवरण

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि., भोपाल के अन्तर्गत क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल कार्यालय में विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त मुख्य रूप से राजस्व से संबंधित कार्य संपादित किये जाने हेतु 01 विशेष राजस्व परामर्शदाता के सेवाओं की आवयकता है। इस पद के लिये आवेदक को म.प्र.राज्य वन विकास निगम में उप प्रबंधक (लेखा) स्तर या उससे उच्च स्तर के पद से सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है। आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में क्षेत्रीय मुख्य महाप्रंधक कार्यालय भोपाल, वनिता नर्सरी परिसर, जवाहर बाल भवन के पास, तुलसी नगर भोपाल–462003 में दिनांक 26.04.2021 तक जमा कर सकते है। आवेदक की आयु दिनांक 01.05.2021 को 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चहिए।

विशेष राजस्व परामर्शदाता को निम्नलिखित कार्यो के लिए संबंधित सेवाये देना होगी :–

01. विदोहन की गई काष्ठ को काष्ठागार में परिवहन हेतु मंडलों द्वारा तैयार किये गये हॉलेज ग्रुपों के लिये आमंत्रित निविदाओं का परीक्षण करना, न्यूनतम निविदाकारों के लिये परिवहन दरें स्वीकृति जारी करवाना एवं तत्पश्चात मंडलों को प्रेषित करना।
02. समस्त काष्ठागारों में प्राप्त वनोपज का निर्धारित मापदण्ड अनुसार नीलामों में प्रस्तावित वनोपज के अवरोध दरों का निर्धारण करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना।
03. मंडलों से वनोपज नीलामों के लिये प्राप्त लाटवार अवरोध मूल्य गणना पत्रक का परीक्षण करना तथा अवरोध मूल्य गणना पत्रक के अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को प्रस्तुत करना।
04. मंडलों के लिये नीलाम हेतु बिडशीट मुद्रण एवं प्रदाय की कार्यवाही पूर्ण कराना।
05. मंडलों से प्राप्त नीलाम परिणामों का परीक्षण कर स्वीकृतियां जारी कराने संबंधी कार्य।
06. मंडलों से प्राप्त सेल रिव्यू समीक्षा पत्रक की नीलामवार समीक्षा उपरांत पाई गई विसंगतियों को क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उसका निराकरण कराना तथा मुख्यालय प्रेषण करना।
07. मंडलों से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर की जानकारी का परीक्षण करना।
08. मंडलों की दिनांक 31 मार्च एवं 30 सितम्बर की स्थिति में प्राप्त काष्ठलेखा का परीक्षण करना। परीक्षणोपरांत पाई गई विसंगतियों का समाधान मंडल कार्यालय से कराना। समाधान उपरांत मुख्यालय अनुशंसित कराने की कार्यवाही करना।
09. मंडलों की दिनांक 31 मार्च एवं 30 सितम्बर की स्थिति में प्राप्त भौतिक सत्यापन का परीक्षण करना। परीक्षणोपरांत पाई गई विसंगतियों का समाधान मंडल कार्यालय से कराना। समाधान उपरांत मुख्यालय अनुशंसित कराने की कार्यवाही करना।
10. दिनांक 30 जून की स्थिति में मंडलों से प्राप्त वनोपज समाधान पत्रक (54 कॉलम एवं 26 कॉलम) की जानकारी का मंडलों से संबंधित अभिलेखों से परीक्षण कर प्रतिवेदन मुख्यालय प्रेषित करवाना।
11. मुख्यालय के निर्देशानुसार जी.एस.टी. संबंधित प्राप्त जानकारी से मंडल को अवगत कराना तथा मंडलों से प्राप्त जानकारी का परीक्षण कर आने वाली कठिनाईयों हेतु मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर संबंधित मंडल कार्यालयों को अवगत कराने संबंधी कार्य।

12.. नीलाम में विक्रित लाटों का समय सीमा में राशि जमा न किये जाने पर निरस्त लाटों एवं पूर्ण राशि जमा उपरांत समय सीमा में परिवहन नहीं किये गये वनोपज के लाटों का पुनः प्रवर्तन/समयवृद्धि दिये जाने संबंधित कार्य का सम्पादन करना।

13. मुख्यालय द्वारा ऑडिट पैरा संबंधित चाही गई जानकारी एवं आपत्तियों के निराकरण संबंधित कार्य।

14. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन करना।

आवेदक को उपरोक्त बिन्दुओं के कार्यो को करने के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

उपरोक्त प्रत्येक बिन्दु पर अपने अनुभव की जानकारी आवेदन के साथ दी जानी चाहिये।

विशेष कार्यालय परामर्शदाता की सेवाएं प्रथम एक वर्ष के लिये ली जावेगी। उसके उपरांत गुण–दोष के आधार पर यह सेवाएं एक–एक वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकेगी। चयनित सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक ही अपनी सेवाये म.प्र. वन विकास निगम को उपलब्ध करवा सकेगा।

अनिवार्य अहर्ता :– मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में उप प्रबंधक (लेखा) के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए एवं दिनांक 01.05.2021 को आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

सेवाओं की शर्ते म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के तहत ली जावेगी। यह सेवाएं पूर्णकालिक होंगी तथा विशेष राजस्व परामर्शदाता को नियमित रुप से कार्यालय में उपस्थित होना होगा। विशेष राजस्व परामर्शदाता का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का पाराश्रमिक का भुगतान कर सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

विशेष राजस्व परामर्शदाता को रू. 30,000/– प्रति माह प्रोफेशनल फीस मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य पात्रता (वाहन/दूरभाष) नहीं होगी।

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल कार्यालय के लिये विशेष राजस्व परामर्शदाता हेतु सशुल्क आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ रू. 1000/– की शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल के नाम देय संलग्न करना होगा। जो वापसी योग्य नहीं होगा।

प्रबंध संचालक

विशेष राजस्व परामर्शदाता के पद हेतु आवदेन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि :
4. वर्तमान पता :
5. पद जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। :
6. सेवा निवृत्त होने की दिनांक :
7. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद :
8. कार्यालय का नाम जहां सेवानिवृत्ति हुये है।
9. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय जहां आवेदन किया जा रहा है। :
10. विगत 7 वर्षो में कार्यरत अवधि का निम्न प्रारूप में जानकारी दे :

अनु. क्र.	विगत 7 वर्ष की कार्य अवधि में पदस्थापना की जानकारी	कार्यालय का नाम जिसके अधीन कार्यरत् रहे	पद का नाम

11 सेवा निवृत्ति के पूर्व विगत 05 वर्षो के दौरान यदि कोई दण्ड दिया गया हो तो उसका विवरण दें।
12. क्या विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित है? यदि हॉ तो विवरण दें।
13. आवेदन के साथ रू. 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक बैंक का नाम
14. फोन/मोबाईल नम्बर

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निमग की निर्धारित शर्तो का भलीभांति पूर्वक अध्ययन किया गया है एवं उन्हें मान्य करता हूं। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है एवं मेरे द्वारा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल कार्यालय के लिये विशेष राजस्व परामर्शदाता पद के लिये सशुल्क आवेदन किया है।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर